

**मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र
भाग I**

- (1) मृतक/घायल का नाम.....
 (2) उम्र
 (3) मृतक/घायल होने का कारण.....
 (4) मृत्यु/घायल होने की तिथि.....
 (5) रहवासीय पता

(6) परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	उम्र	सम्बन्ध	व्यवसाय
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

- (7) सहायता के लिए आवेदन करने वाले का नाम
- (8) पता.....

(9) मृतक/घायल से सम्बन्ध

- (10) क्या मृतक/घायल कर्मचारी था/है हां/नहीं
- (11) यदि मृतक राज्य कर्मचारी था, यदि हां तो बीमा/ग्रेच्युटी आदि का भुगतान हुआ है हां/नहीं
- (12) यदि भुगतान हुआ है तो कितना (राशि रूपयों में)रूपये
- (13) क्या मृतक/घायल के परिवार के पास कृषि भूमि है हां/नहीं
- (14) यदि हां तो विवरण दें:- चाही
- (15) मृतक/घायल के परिवार के पास मकान की स्थिति। कच्चा/पक्का
- (16) क्या पूर्व में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त की हां/नहीं
- (17) यदि हां तो कितनी (राशि रूपयों में) रूपये

संलग्नक:-

एफ.आई.आर. की प्रति

पोस्टमार्टम रिपोर्ट/सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी की गई चोट प्रतिवेदन की प्रति

हस्ताक्षर आवेदक

भाग II

जांच अधिकारी तहसीलदार की रिपोर्ट

1. आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की जाती है हां/नहीं
2. क्या आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है हां/नहीं
3. क्या सहायता दिया जाना औचित्यपूर्ण है हां/नहीं

हस्ताक्षर

तहसीलदार

भाग III

1. तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर प्रकरण मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान, जयपुर को भिजवा दिया जावे। हां/नहीं
2. तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर तत्काल सहायता राशि रूपये..... स्वीकृत कर दिये जायें हां/नहीं

हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी

सहायता शाखा

